तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
20.04.2022	वकुलाय उपस्थित। बहस उभयपक्षकारान् सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण गांव कोलिया में अवस्थित दयाल बगीची का ट्रस्टी है तथा दयाल बगीची हिन्दु समाज की संस्था का प्रमुख केन्द्र है जहां सभी हिन्दु समाज की जातियों की इस दयाल बगीची से गहरी आस्था जुडी हुई है। अनेक त्यौहारों पर दयाल बगीची में मैला एवं धार्मिक उत्सवों का आयोजन होता है। जिसके लिये सार्वजनिक हित में बगीची के बाहर की भूमि खसरा सं0 1157 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा जो पूर्व में सीमाराम बेटों दुलीचन्द रो जाति रो महाजन वासी गांव रो बापीदार जो कि बगीची का संरक्षक था के खातेदारी में दर्ज रहीं है। परन्तु सहवन से भू–बन्दोबस्त अधिकारी ने संवत 2022 में जब सैटलमेन्ट हुआ था तब राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिन्दु समाज की बंजर कदीमु बगीची की राजस्व भूमि को मुस्लिम समाज के लोगों से मिलकर सांठ–गांठ कर अवैध व विधि विरूद्ध तरीके से बिना किसी कानूनी क्षेत्राधिकार के खातेदारी में परिवर्तन कर दिया है तथा वर्तमान में निम्न अप्रार्थीगण सं0 01 से 25 के खातेदारी में दर्ज कर दिया है जो खसरा सं0 1612 रकबा 0.19 बीघा, खसरा सं0 1616 रकबा 0.09 बीघा, खसरा सं0 1971/1612 रकबा 0.19 बीघा, खसरा सं0 1973/1613 रकबा 0.19 बीघा, खसरा सं0 1972/1612 रकबा 0.19 बीघा अवैध रूप से अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हो गया है। जो बन्दोबस्त अधिकारी ने विधि विरूद्ध बिना किसी कानूनी आधार पर खातेदार घोषित कर दिया है। जिससे इनकी खातेदारी प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद तक कन्फर्म किया जावें। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी सं0 03 सुवटी का देहान्त दिनांक 08.[illegible].2018 प्रतिवादी सं0 16 अल्लाबक्सी का देहान्त दिनांक 08.[illegible].2011 प्रतिवादी सं0 25 का देहान्त 14.05.2017 को हो चुका है। [illegible] प्रार्थना पत्र	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.10 12:03:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with Oken Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
20.04.2022	दिनांक 13.08.2018 को पेश किया था तथा अप्रार्थी सं0 03, 16 व 25 दिनांक 13.08.2018 से पूर्व ही फौत हो चुके है। वर्तमान खतौनी में अप्रार्थीगण का नाम ही चला आ रहा है तथा पूर्व में भी उक्त जायगा अप्रार्थीगण के खातेदारी की रही है। प्रार्थी का उक्त जायगा पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र वाद हैतुक उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि अप्रार्थी सं0 03, 16 व 25 प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व फौत हो गये अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जावें। बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ने शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि बगीची कि दिवार से लगते हुये 20 फीट रास्ते निर्माण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगें। खेत खसरा सं0. 1612 रकबा 0.19 बीघा में हम न तो मस्जिद का निर्माण करेंगें तथा न ही भविष्य में कभी मस्जिद का निर्माण करेंगें। वर्तमान खतौनी में भी अप्रार्थीगण की खातेदारी में चला आ रहा है। चुंकि प्रार्थी ने मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर) Signature Not Verified Digitally signed by Kartikeya Meena Date: 2022.10.10 12:03:56 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with Oken Scanner